न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 15/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/24
नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह, जाति कुम्हार सिख निवासी वार्ड नं. 24 रायसिंहनगर

–अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि बीरबल सहायक कर्मचारी कई वर्षों से बीकार चल रहा है घर पर ही आराम कर रहा हैं। बीरबल की जगह पर तामील वास्ते दूसरे व्यक्ति को रखा गया हैं। उसका नाम व पूरा पता, बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को रखने की अनुमति जिस विभाग से ली गई हैं उसका ना मव पूरा पता, बीरबल कब से ऑफिस में ड्यूटी पर नहीं आ रहा की प्रमाणित प्रति, बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को प्रति माह दी गई सैलरी की प्रमाणित प्रति दी जावे। तामील करवाई गई फाईलों का बैं वसूली बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को अर्पिता सोनी द्वारा कमीशन दिया गया उस कमीशन राशि की प्रमाणित प्रति दी जावे परन्तु किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/सूकाअ/23/216 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार "प्रार्थी नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित होने के कारण तहसील के पत्रांक रीडर/2022/839 दिनांक 23.05.2022 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। प्रार्थना पत्र के तहत अप्रार्थी बीरबलराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय रायसिंहनगर के संबंध में सूचना चाही गई थी, जिसमें यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो प्रार्थी द्वारा सूचना क्र.सं. 1 से 5 प्रश्नोत्तर रूप में चाही गई है। जो सूचना के अधिकार की श्रेणी में नहीं आती है साथ ही अप्रार्थी के व्यक्त्वि जीवन से संबंधित है जो एकान्तचित्ता में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है जो सूचना के अधिकार की श्रेणी में नहीं आती और ना ही चाही गई सूचना किसी लोक क्रियाकलाप से संबंध रखती हैं।"

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.04.2022 को उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के कार्यालय में आवेदन सूचना का अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत कर निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया :–

बीरबल सहायक कर्मचारी कई वर्षों से बीमार चल रहा है, घर पर ही आराम कर रहा हैं–
(1)बीरबल की जगह पर तामील वास्ते दूसरे व्यक्ति को रखा गया है उसका नाम व पूरा पते की प्रमाणित
(2)बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को रखने की अनुमति जिस विभाग से ली गई उस विभाग का नाम पते की प्रमाणित
(3)बीरबल कब से ऑफिस में डयूटी पर नहीं आ रहा की प्रमाणित प्रति
(4)बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को प्रति माह दी गई सैलरी की प्रमाणित दी जावे
(5)तामील करवाई गई फाईलों का बैंक वसूली बीरबल की जगह पर दूसरे व्यक्ति को अर्पिता सोनी द्वारा कमीशन दिया गया, उस कमीशन राशि की प्रमाणित दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार आवेदक द्वारा वांछित सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित होने के कारण तहसील के द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने का अंकन किया गया हैं। जिससे स्पष्ट हैं कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा आवेदन स्वीकार कर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा आवेदन अस्वीकार किये जाने के संबध में आवेदक से कोई पत्राचार नहीं किया गया हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में अंकित किया गया हैं कि वांछित सूचना अप्रार्थी के व्यक्त्वि जीवन से संबंधित है जो एकान्तचित्ता में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है जो सूचना के अधिकार की श्रेणी में नहीं आती और ना ही चाही गई सूचना किसी लोक क्रियाकलाप से संबंध रखती हैं। अतः सूचना पर व्यक्ति से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को चाहिए था कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम की 11 के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए धारा 8(जे) को मध्यनजर रखते हुए आवेदन पर विनिश्चय कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते। अपील स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ साथ उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे इस निर्णय की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(जे) तथा 11 के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदक के आवेदन पत्र पर विनिश्चय कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:41 IST
Reason: SelfAttested